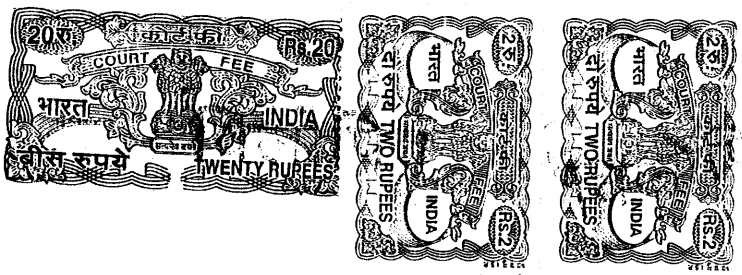

235

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015-16 निगरानी
नि - 3114 - I - 16

1- डामरेश्वरप्रसाद पुत्र श्री मदनमोहन पाठक, निवासी सिविल लाईन संगीता लाज के पास, दतिया म.प्र. हाल निवासी इन्दौर म.प्र.

2- राजेश कुमार पाठक पुत्र श्री मदनमोहन पाठक, निवासी- सिविल लाइंस संगीता लाज के पास दतिया म0प्र0

..निगरानीकर्तागण

बनाम

1- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया म0प्र0

2- नजूल अधिकारी दतिया गैर निगरानीकार

3- रविन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह परमार, निवासी- गुडियन का कुँआ दतिया म0प्र0

4- मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्रीराम यादव निवासी- भाढ़ डेरी फाटक दतिया म0प्र0

5- श्रीमती बबली पत्नी श्री संजय यादव, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बस स्टेण्ड के पास, दतिया म0प्र0

तरतीबी.प्रतिनिगरानीकर्तागण

श्री रविन्द्र कुमार 12-9-16

निग० -3114-I/16

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 25.07.2016 पारित द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग जिनके द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 29/2012-14/विविध में पारित आलोच्य आदेश दिनांकी 25.07.2016 के माध्यम से आवेदकगण का प्रकरण म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 04 कमांक 01 की धारा 18 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिलाधीश दतिया द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त प्रकरण को पुनः निराकरण हेतु प्रति प्रेषित किये जाने का आलोच्य आदेश पारित किया गया से प्रतिवेदित होकर वर्तमान निगरानी।</u>

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है:-

1. यहकि, निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय दतिया के न्यायालय में एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के याचिका प्रकरण कमांक 2150/2011 में पारित आदेश के आधार पर प्रस्तुत किया गया।

2. यहकि, निगरानीकर्तागण द्वारा अपने अभ्यावेदित प्रकरण कमांक 04/2011-12/अभ्यावेदन में यह उल्लेखित किया कि नगर पालिका भूखण्ड जो कि प्रकरण में विवादित भूखण्ड था। अभिलेख के अनुसार भवन कमांक 698 पुराना वार्ड कमांक 05 नया वार्ड कमांक 03 पर मकान नम्बर 629 मौगिया का मौहल्ला नजूल शीट

श्रीमती प्रेमा वर्मा शपथ आयुक्त लश्कर 2

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3114–एक/2016 जिला –दतिया

दिनांक तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अनूप गुप्ता उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 29/2012–14/विविध में पारित आदेश दिनांक 25.7.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के रिट पिटीशन कमांक 2150/2001 में पारित आदेश दिनांक 7.4.11 के अनुपालन में अभ्यावेदन कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया गया कि नगर पालिका भू–खण्ड (जो इस प्रकरण में विवादित है) अभिलेख अनुसार भवन कमांक 698 पुराना वार्ड कमांक 5 नये वार्ड कमांक 3 पर मकान नम्बर 629 मोगिया का मोहल्ला नजूल शीट कमांक 38 को आदेश दिनांक 28.2.11 से शासकीय भूमि मानकर आवेदक के हक में जारी एन0ओ0सी0 निरस्त कर दी गयी। कलेक्टर जिला दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.11 के विरूद्व आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी जो प्रकरण कमांक 2150/2011 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 7.4.11 से कलेक्टर जिला दतिया को पुनः सुनवाई के लिये निर्देश दिये	

गये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष अभ्यावेदन के साथ वे समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो कि आवेदकगण के हित में थे, किन्तु कलेक्टर जिला दतिया द्वारा उन पर विचार न कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन आदेश दिनांक 12.3.12 से निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अभ्यावेदन अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.7.16 से जिला कलेक्टर का आदेश दिनांक 12.3.12 निरस्त करते हुये आवेदक को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रत्यावर्तित किया। इसी से परिवेदति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अभ्यावेदित प्रकरण कमांक 04/11–12/ अभ्यावेदन में यह उल्लेखित किया कि नगर पालिका भूखण्ड जो कि प्रकरण में विवादित भूखण्ड था। अभिलेख के अनुसार भवन कमांक 698 पुराना वार्ड कमांक 05 नया वार्ड कमांक 03 पर मकान नम्बर 629 मौगिया का मौहल्ला नजूल शीट कमांक 38 भूखण्ड कमांक 111, 112 तथा 114 कुल रकवा क्षेत्रफल 1170 वर्गफीट आवेदक के स्वामित्व का है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि वादग्रस्त संपत्ति का भूखण्ड आवेदकगण द्वारा जमना पत्नी श्री धर्मा मौगिया, लालाराम, हरीदास, सुघर सिंह पुत्रगण धर्मा मौगिया द्वारा संपादित पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 3.9.2001 के माध्यम से कय किया गया। आवेदक अधिवक्ता ने

अपने तर्क में यह भी बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर लगे नीम के पेड़ को काटने की स्वीकृति दी थी तथा नगर पालिका निगम को कोई कर बकाया नहीं था जिसकी एन0ओ0सी0 भी दिनांक 3.8.2001 को जारी की गई थी तथा नजूल अधिकारी दतिया के प्रकरण कमांक 65/86–87/अ–20(1) में भी प्रतिवेदति कियाा गया था कि वादग्रस्त भूखण्ड मदन मोहन एवं आवेदकगण के अधिकार एवं स्वामित्व का भूखण्ड है, विधिवत जांच उपरांत प्रकरण कमांक 57/अ–20/(4)06–07 में पारित आदेश दिनांक 5.10.07 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे कलेक्टर जिला दतिया द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना कानूनन भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त महोदय द्वारा कलेक्टर जिला दतिया का आदेश निरस्त किया गया है लेकिन प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कानूनन भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदकगण की ओर से श्री आर0 एस0 सेंगर द्वारा अपने तर्क में कहा है कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर कर दिया जावे। अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि प्रावधानों से उचित है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ—20/90—91 में पारित आदेश दिनांक 7.2.91 के आधार पर नजूल शीट कमांक 38 में स्थित भू—खण्ड कमांक 112 को शासकीय भू—खण्ड होने के संबंध में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, प्रकरण का अवलोकन किया गया, अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में राजस्व प्रकरण कमांक 11/अ—20/90—91 में पारित आदेश दिनांक 7.2.91 के आधार पर सर्वे नम्बर 112 की भूमि को शासकीय नजूल भूमि मानते हुये आदेश पारित किया गया। परन्तु प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख से यह तथ्य भी अभिलेख पर आया है कि उपरोक्त राजस्व प्रकरण से संबंधित कोई भी अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अथवा संबंधित जिलाधीश द्वारा अवलोकन किये जाने के उपरांत उक्त आदेश पारित किया जाना स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त राजस्व प्रकरण से संबंधित अभिलेख आहूत किया जाना अभिलेख पर नहीं है। इस कारण विवादित आलोच्य आदेश तर्क संगत एवं विधि संम्मत् आदेश नहीं माना जा सकता। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य रूप से भूमि सर्वे कमांक 111,112, 114 से संबंधित वादग्रस्त भूमियों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण

पत्र राजस्व प्रकरण कमांक 57 / अ—20 / (4) 06—07 में पारित आदेश दिनांक 5.10.07 के माध्यम से प्राप्त की गई है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र सही रूप से जारी की गई हैं पूर्व में जारी एन0ओ0सी0 दिनांक 5.10. 2000 एवं 25.10.07 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना किसी आधार के लगभग 10 वर्ष पश्चात एन0ओ0सी0 निरस्त किया जाना कानूनी प्रकिया के विपरीत है । परिणामस्वरूप पूर्व में निरस्त की गई एन0ओ0सी बहाल की जाती है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। आवेदक के नाम पर भूमि उपलब्ध कराई जावे।

सदस्य